



सुण्डाराम बनाम देशरथ सिंह

दावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) मु.न. 209/201

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
29.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्तः कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.9.25 को पेश हो।</p> 
25.09.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। प्रकरण काफी पुराना वर्ष 2005 से विचाराधीन है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिती में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

